न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–02/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) गोरखपुर।

सत्रवाद सं0–222/2022

स्टेट बनाम हरीश वगै0

धारा–452,302,323,307,394,120बी0 भा0दं0सं0

थाना–गगहा, जिला गोरखपुर।

दिनांक–09.06.2026

1. अभियुक्त हरीश के द्वारा प्रार्थना पत्र 131ख इस आश्य से प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20.08.2021 को अपनी पत्नी सहित ट्रेन सं0–14511 नौचण्दी एक्सप्रेस से लखनऊ से सहारनपुर जा रहा था तथा टिकट ट्रेन में ही टी0टी0 से बनावाए थे, परंतु प्रार्थी टिकट सुरक्षित नहीं रखा है। प्रार्थी को दिनांक 31.08.2021 को गोरखपुर थाना गगहा की पुलिस जिला हरिद्वार के थाना क्षेत्र बहादुराबाद से एक मुकदमे में आत्मसमर्पण करने जाते समय गिरफ्तार कर गोरखपुर लायी। उस समय प्रार्थी के पास मोबाइल कीपैड ए0सी0ई0 सिम सं0–9628114468 वोडाफोन, आई0एम0ई0आई0 नं0–3505726305 था, परंतु पुलिस द्वारा मोबाइल सिम निकाल लिया गया। प्रार्थी की निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए निम्न कागजात को प्रतिरक्षा साक्ष्य में तलब करना न्यायाहित में आवश्यक है।

(i). कीपैड मोबाइल सिम सं0–9628114468 वोडाफोन, आई0एम0ई0आई0 नं0–3505726305 का सी0डी0आर0 दिनांकित 30.08.2021 से 02.09.2021 तक लोकेशन सहित।

(ii). ट्रैन सं0–14511 नौचण्दी एक्सप्रेस में प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी अंजली उर्फ रूपा का टी0टी0 द्वारा दिनांक 20.08.2021 को ट्रेन में बनाया गया टिकट, जो मुरादाबाद डी0आर0एम0 कार्यालय में उपलब्ध है, जिसी आर0टी0आई0 के तहत सूचना माँगने पर प्राप्त सूचना संलग्न है।

(iii). दिनांक 30.08.2021 से 02.09.2021 तक थाना गगहा, गोरखपुर प्रभारी श्री अमित कुमार दूबे (पी0डब्लू0–4) के सी0यू0जी0 मोबाइल का व एस0आई0 अमित चौधरी व कां0 नन्दलाल गौड़ व कां0 दीपू गौड़ के मोबाइल का उक्त दिनांक सी0डी0आर0 लोकेशन सहित।

(iv). पर्चा नं0–1 ता 6 को पर्यवेक्षण अधिकारी को भेजने से संबंधित थाना का रजिस्टर।

2. अभियोजन की तरफ से आपत्ति की गयी थी कि अभियुक्त हरीश प्रस्तुत वाद में नामजद अभियुक्त है और अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र दाखिल हुआ और अभियुक्त हरीश पुत्र इन्द्रपाल साकिन हाशीमपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर, का रहने वाला है। आवेदन पत्र 131ख के साथ हरीश द्वारा चिकित्सा स्वास्थ सेवाएँ जनपद हरिद्वार दिनांक 31.08.2021 दाखिल कोविड–19 जाँच प्रपत्र पंजीकरण सं0–10222 में वर्णित पता पूर्णतया अलग है, जो कि हरीश अभियुक्त के दावे को गलत साबित करता है। अभियुक्त हरीश द्वारा ट्रेन सं0–14511 नौचन्दी एक्सप्रेस से संबंधित कथित यात्रा के बावत आर0टी0आई0 के तहत माँगी गयी। सूचना का जवाब कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद द्वारा पूर्व में दिया जा चुका है, जिसकी फोटो प्रति अभियुक्त ने लिए ही प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार बिना कोच सं0 या रसीद के सूचना देना संभव नहीं है। अभियुक्त हरीश ने उक्त कथित प्रपत्र बिना किसी ठोस साक्ष्य के केवल सरसरी तौर पर मा0 न्या0 के समक्ष मुकदमे को लाभ विलंबित करने के उद्देश्य से ही दिया है। अभियुक्त ने कथित यात्रा की फाईन रसीद उसके पास न होना स्वयं माना है। अभियुक्त हरीश द्वारा तलब किए गए क्रमांक सं0–01 क 03 इस समय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि घटना हुए काफी समय

हो गया है। प्रस्तुत वाद में मा0उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित करने का आदेश है। अभियुक्त हरीश के कीपैड ए0सी0ई0 सिम के बावत मांगे गये प्रपत्र निरस्त होने योग्य है।

3. सुना अभियुक्त हरीश के द्वारा कीपैड मोबाईल सिम सं0–9628114468 वोडाफान, आई0एम0ई0आई0 नं0 3505726305 का सी0डी0आर0 दिनांक 02.09.2021 को लोकेशन सहित तलब किए जाने का जो अनुराध किया गया है, उक्त संदर्भ में भारत दूरसंचार कम्पनी डी0ओ0टी0 सरकारी नियमों के अंतर्गत कॉल डिटेल व लोकेशन 02 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है एवं सिम कम्पनी के ऑपरेटर का डेटा भी 02 वर्ष तक ही सुरक्षित रहता है, जबकि अभियुक्त की तरफ से यह प्रार्थना पत्र 30.08.2021 से 02.09.2021 तक तलब किया जाने का आवेदन दिया गया है और लगभग 04 वर्ष से अधिक समय हो गया है इसलिए अभियुक्त द्वारा मोबाइल फोन सिम सं0–9628114468 की लोकेशन 04 वर्ष से अधिक होने के कारण अस्तित्व में नहीं है इसलिए तलब नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त हरीश ट्रेन सं0–14511 नौचन्दी एक्सप्रेस में स्वयं अपनी पत्नी अंजली उर्फ रूपा दिनांक 20.08.2021 का यात्रा करना, चलती ट्रेन में टी0टी0 के माध्यम से टिकट बनवाने का उल्लेख किया है इसलिए अभियुक्त के पास दिनांक 20.08.2021 की ट्रेन सं0–14511 का टिकट था या नहीं। यह अभियक्त के ही विशिष्ट ज्ञान में है। चूँकि अभियुक्त द्वारा ही अपने प्रार्थना पत्र में ही यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी टिकट सुरक्षित नहीं रखा है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य विशिष्ट रूप से अभियुक्त के ज्ञान में होने के कारण उसके पास टिकट था अथवा नहीं अभियुक्त को ही साबित करना है। इसके अतिरिक्त ट्रेन के अंदर यात्रा के दौरान टी0टी0 के द्वारा यात्री का जो चलती ट्रेन में टिकट बनाया जाता है। उसकी कार्बन प्रति (द्वितीय प्रति) 06 माह तक ही सुरक्षित रखी जाती है। चूँकि अभियुक्त के द्वारा 04 वर्ष से अधिक समय के बाद उपरोक्त प्रपत्र तलब किए जाने का आवेदन किया गया है इसलिए चलती ट्रेन में टी0टी0 द्वारा टिकट बनाने की द्वितीय प्रति 06 माह तक सुरक्षित रखे जाने की समय सीमा के अंतर्गत नहीं है, बल्कि 04 वर्ष से अधिक समय बाद दिया गया है इसलिए भी अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत सूचना न्यायालय द्वारा तलब नहीं की जा सकती एवं क्रम सं0–03 पुलिस अधिकारी अमित कुमार दूबे, एस0आई0 अमित चौधरी, कां0 नन्दलाल गौड़ व कां0 दीपू गौड़ के मोबाइल फोन का कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पुलिस कर्मचारीगण के संदर्भ में वांछित सूचना भी 04 वर्ष से अधिक का होने के कारण अस्तित्व में नहीं है। अतः उपरोक्त सूचना तलब नहीं की जा सकती है।

अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 131ख निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
गैंगस्टर एक्ट, कोर्ट सं०–02 गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.06.09 16:18:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court